राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3988/2025

अब्दुल हमीद अंसारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, कोटा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमोला, ब्लॉक ईटावा, जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–1 के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमोला, ब्लॉक ईटावा, जिला कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हो जाने के कारण विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से चयनित अध्यापकों का पदस्थापन हो जाने के कारण अपीलार्थी अधिशेष की श्रेणी में आ गया, जिसको अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाना था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बम्बूलिया कलां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमोला में कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण भी कर लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी को उसी पीईईओ परिक्षेत्र या राजस्व ग्राम या उसी ब्लॉक के अन्य नजदीकी विद्यालय में अपीलार्थी का पदस्थापन किया जाना था। परन्तु अपीलार्थी का पदस्थापन राजस्व ग्राम एवं पीईईओ परिक्षेत्र को छोड़कर ब्लॉक से दूर के विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमोला में किया गया। उनका कथन है कि पूर्व विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बम्बूलिया कलां के पीईईओ अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपुरा में अध्यापक लेवल–1 का एक

पद रिक्त था। परन्तु वहां पर अन्य अध्यापक को पदस्थापित कर दिया गया। जबकि नियमानुसार वहां पर अपीलार्थी का पदस्थापन होना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी का पदस्थापन पीईईओ परिक्षेत्र या उसी राजस्व ग्राम या ब्लॉक के नजदीकी विद्यालय में किया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य